Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 97/2015 अपील
पंजीयन दिनांक – 06–08–2015
निर्णय दिनांक – 13–03–2018

1. श्री ओमप्रकाश शर्मा पिता श्री शंकरलाल शर्मा, निवासी मावली हाल निवासी 73, डोरेनगर, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती चन्द्रकला शर्मा पुत्री श्री शंकरलाल शर्मा पत्नि श्री ज्ञानेश्वर जी पंचोली, निवासी मावली हाल गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती गायत्री शर्मा पुत्री श्री शंकरलाल जी शर्मा पत्नि श्री सुभाष जी पंचोली, निवासी मावली हाल निवासी ब्रहमपुरी, बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ उदयपुर (राज.)
4. श्री प्रदीप शर्मा पिता श्री शंकरलाल शर्मा, निवासी मावली हाल निवासी 73, डोरेनगर, उदयपुर (राज.)

––अपीलान्ट

बनाम

1. श्री रंगलाल पिता स्व. किशनलाल शर्मा के बजायः–
   1/1 श्रीमती भगवती देवी पत्नि स्व. श्री रंगलाल शर्मा, निवासी मून्दडा की बाडी, अप्सरा टॉकिज के पास, चित्तौडगढ़ (राज.)
   1/2 तारा शर्मा पुत्री स्व. श्री रंगलाल शर्मा, निवासी मून्दडा की बाडी, अप्सरा टॉकिज के पास, चित्तौडगढ़ (राज.)
   1/3 श्रीमती सीमा शर्मा पत्नि श्री शिवशंकर शर्मा, निवासी हर्ष नगर, सेतु मार्ग चित्तौडगढ़ (राज.)
   1/4 श्रीमती कैलाश शर्मा, पत्नि श्री दिलीप शर्मा, निवासी कमला नेहरू कॉलोनी जिला पाली (राज.)
   1/5 श्रीमती निर्मला पुत्री श्री रंगलाल पत्नि श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी संजय कॉलोनी, बांसवाली गली, मकान नम्बर 266, भीलवाडा (राज.)
   1/6 श्रीमती सुशीला पुत्री श्री रंगलाल पत्नि श्री ओमप्रकाश शर्मा, निवासी एफ/166 गांधीनगर, चित्तौडगढ़ (राज.)
2. श्री शंकरलाल पिता स्व. श्री मोहनलाल शर्मा निवासी मावली हाल निवासी 73, डोरेनगर, उदयपुर (राज.)
3. राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर–

––रेस्पोंडेण्ट्स

उपस्थित–

1– श्री महेश सोनी – अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री पी.सी. पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पों. सं. 1/4
3– श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता रेस्पों. सं.–2 (वाद मित्र)

अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मावली प्रकरण संख्या 06/2014 निर्णय दिनांक 20.04.2015

निर्णय

दिनांक 13.03.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मावली प्रकरण संख्या 06/2014 निर्णय दिनांक 20.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मावली पटवार हल्का मावली में स्थित आराजी नं. 604,2194, 2195, 2196, 3055, 3056, 3266, 3295, 4557/3057 कुल किता–09 कुल रकबा 22 बीघा 08 विस्वा के मूल खातेदार श्री जितमल जी जिणावत थे। जितमल जी के दो पुत्र स्व. श्री किशनलाल एवं स्व. श्री मोहनलाल पिता जितमल जी थे। श्री किशनलाल के पुत्र संतान नहीं होने से अपने भाई मोहनलाल के पुत्र रंगलाल को बाल्यावस्था में ही गोद लिया गया। श्री रंगलाल का पालन पोषण, शिक्षा आदि स्व. श्री किशनलाल ने ही किया गया। उसके बाद मोहनलाल के पुत्र श्री पन्नालाल को भी किशनलाल द्वारा ही गोद लिया गया तत्पश्चात् श्री मोहनलाल के एकमात्र पुत्र रेस्पो. संख्या 2 श्री शंकरलाल ही बचा श्री मोहनलाल जी का स्वर्गवास दिनांक 27.02.2005 को होने पर शंकरलाल ने उपरोक्त आराजीयात का नामान्तरकरण अपने नाम खोलने बाबत प्रार्थना पत्र तहसीलदार मावली को दिया गया। तहसीलदार मावली द्वारा बिना किसी जांच के व बिना रेस्पो. संख्या 2 को सूचित किये नामान्तरकरण संख्या 2113 दिनांक 21.11.2005 को स्व. श्री रंगलाल एवं रेस्पो. संख्या 2 श्री शंकरलाल के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा बाबत खोल दिया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व प्रथम अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मावली के न्यायालय में पेश की गई। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा नामान्तरकरण 2113 जो विरासत का दर्ज कर स्वीकृत हुआ है

उसमें कोई विधिक त्रुटि गोचर नहीं होना मानते हुए अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 20.04.2015 पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलाण्ट्स द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया की अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विपरित होने से खारिज योग्य है। क्योकि वादग्रस्त आराजीयात भूमि से रेस्पो. संख्या 1 का कोई सम्बन्ध एवं मतलब नही है। कानूनन उक्त भूमि विरासत के आधार पर रेस्पों. संख्या 2 व अपीलान्ट्स के नाम से नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिये, लेकिन रेस्पो. संख्या 1 के नाम से कानून की अनदेखी कर एवं बिना जॉच किये ही जो नामान्तरकरण खोल दिया गया है वो नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही अवैध व बिना अधिकार का होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है। चूंकि श्री किशन लाल के पुत्र संन्तान नही होने से अपने भाई मोहन लाल के पुत्र रंगलाल, जो कि बाल्यावस्था मे ही गोद ले लिया था तथा रंगलाल रेस्पों. संख्या 1 का पालन पोषण एवं शिक्षा–दिक्षा समेत सभी संस्कार उक्त स्वर्गीय श्री किशन लाल द्वारा सम्पन्न किये गये थें। तत्पश्चात श्री पन्नालाल जी को भी स्व. श्री किशन लाल द्वारा गोद ले लिया गया जिसका गोदनामा भी निष्पादित किया गया था। इस प्रकार स्व. श्री मोहन लाल जी के एक ही पुत्र अर्थात रेस्पों. संख्या 2 श्री शंकर लाल ही बचा। रेस्पों. संख्या 1 को स्व. किशनलाल द्वारा गोद लिया जाने से उसके शिक्षा दिक्षा समेत सभी संस्कार स्व. किशनलाल द्वारा कराये गये थे। इसके समस्त दस्तावेज में पिता का नाम किशन लाल ही अंकित है। रेस्पों संख्या 1 रंगलाल के जीवनकाल में आजीवन अपने पिता के नाम की उद्घोषणा में किशन लाल ही बताया है। तहसीलदार मावली ने भी मौजा मावली मे रंगलाल पिता किशनलाल के नाम से भूमि आवंटन दिंनाक 6.09.1989 को किया था जिसमें भी राजस्व विभाग ने पिता का नाम किशन लाल ही माना है। किसी प्रकार का ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिसमें वल्दियत रंगलाल पिता मोहनलाल हो । अन्त में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जा कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जा' कर नामान्तरकरण संख्या 2112 दिनांक 21.11.2005 निरस्त फरमाया जाकर कथित नामान्तरकरण के फलस्वरूप अन्य कोई नामान्तरकरण खोले गये है जो उन्हे भी निरस्त फरमाया जाकर वादवर्णित भूमि का नामान्तरकरण अपिलान्ट्स एवं रेस्पों संख्या 2 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने बाबत् उचित आदेश प्रदान कराये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पों संख्या 1/4 ने बहस में बताया की श्री पन्नालाल पिता स्व. श्री मोहनलाल को श्री किशन लाल ने दिनांक 05.11.1971 रजिस्टर्ड गोदनामें से गोद रखा गया । श्री किशनलाल की मृत्यु के पश्चात गोदनामें के आधार पर श्री पन्नालाल के नाम नामान्तरकरण संख्या 1379 दिनांक 29.10.1994 को दर्ज हुआ। रेस्पों संख्या 1 को स्व. श्री किशनलाल ने कभी भी गोद नही रखा । कानूनन दो को गोद नही लिया जा सकता है गोदनामे सम्बन्धीत कोई विवाद हो तो इसका निस्तारण करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नही । ऐसी स्थिती में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाये जाने का कथन किया।

विद्वान अधिवक्ता (वाद मित्र) रेस्पों संख्या 2 का कथन है कि श्री रंगलाल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र में रंगलाल पिता किशन लाल एवं विवाह पत्रिका में रंगलाल पिता किशन लाल जी दर्ज है। किन्तु श्री रंगलाल स्वर्गीय श्री मोहन लाल का बडा पुत्र होने से बडे पुत्र को गोद रखा जाना कानूनन मान्यता नही है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। राजस्व ग्राम मावली पटवार हल्का मावली में स्थित आराजी नं. 604,2194, 2195, 2196, 3055, 3056, 3266, 3295, 4557/3057 कुल किता–09 कुल रकबा 22 बीघा 08 विस्वा के मूल खातेदार श्री जितमल जी जिणावत थे। वकील अपीलान्ट का कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात भूमि से रेस्पो. संख्या 1 का कोई सम्बन्ध एवं मतलब नही है। कानूनन उक्त भूमि विरासत के आधार पर रेस्पों. संख्या 2 व अपीलान्ट्स के नाम से नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिये, चूंकि श्री किशन लाल के पुत्र संन्तान नही होने से अपने भाई मोहन लाल के पुत्र रंगलाल, जो कि बाल्यावस्था मे ही गोद ले लिया था तथा रंगलाल रेस्पों. संख्या 1 का पालन पोषण एवं शिक्षा–दिक्षा समेत सभी संस्कार उक्त स्वर्गीय श्री किशन लाल द्वारा सम्पन्न किये गये थें। तत्पश्चात श्री पन्नालाल जी को भी स्व. श्री किशन लाल द्वारा गोद ले लिया गया जिसका गोदनामा भी निष्पादित किया गया था। इस प्रकार स्व. श्री मोहन लाल जी के एक ही पुत्र अर्थात रेस्पों. संख्या 2 श्री शंकर लाल ही बचा। वकील रेस्पों. संख्या 1/4 ने जवाब में कथन किया कि श्री पन्नालाल पिता स्व. श्री मोहनलाल को श्री किशन लाल ने दिनांक 05.11.1971 रजिस्टर्ड गोदनामें से गोद रखा गया। श्री किशनलाल की मृत्यु के पश्चात गोदनामें के आधार पर श्री पन्नालाल के नाम नामान्तरकरण संख्या 1379 दिनांक 29.10.1994 को दर्ज हुआ। रेस्पों संख्या 1 को स्व. श्री किशनलाल ने कभी भी गोद नही रखा । कानूनन दो को गोद नही लिया जा सकता है गोदनामे सम्बन्धीत कोई विवाद हो तो इसका निस्तारण करने का

अधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नही। अधिवक्ता वाद मित्र का कथन है कि रंगलाल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र में रंगलाल पिता किशन लाल एवं विवाह पत्रिका में रंगलाल पिता किशन लाल जी दर्ज है। किन्तु श्री रंगलाल स्वर्गीय श्री मोहन लाल का बडा पुत्र होने से बडे पुत्र को गोद रखा जाना कानूनन मान्यता नही है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं कारणों सहित विवेचित निर्णय पारित किया गया है, जिससे हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी मावली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2015 यथावत रखा जाता है।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर